GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *92

TO BE ANSWERED ON THE 10TH FEBRUARY, 2021/ MAGHA 21, 1942 (SAKA)

CROSS-BORDER INFILTRATION

92. SHRI MANAS RANJAN BHUNIA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is fact that cross-border infiltration has increased during the last five years from India-Bangladesh border;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether Government has taken initiative to take punitive actions against the responsible security personnel for illegal cross-border infiltration; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (d): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT IN REPLY TO PARTS (A) TO (D) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *92 FOR 10.02.2021 REGARDING CROSS-BORDER INFILTRATION

(a) & (b) : Number of cross border infiltration cases reported along Indo-Bangladesh Border have reduced in 2020 viz-a-viz 2016. The details are as below:

2016		2017		2018		2019		2020	
No. of Cases	No. of person Apprehended	No. of Cases	No. of person Apprehended	No. of Cases	No. of person Apprehended	No. of Cases	No. of person Apprehended	No. of Cases	No. of person Apprehended
654	1601	456	907	420	884	500	1109	489	955

(c) & (d) : Wherever a lapse on part of BSF personnel is found, disciplinary proceedings are initiated and action taken as per rules.

*****

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 92

दिनांक 10.02.2021/ 21 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा पार से घुसपैठ

92 श्री मानस रंजन भूनिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा से सीमा पार घुसपैठ बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अवैध सीमा पार घुसपैठ के लिए जिम्मेदार सुरक्षा कर्मियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने की पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2)

रा.स.ता.प्र.सं. 92

'सीमा पार से घुसपैठ' के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *92 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क)और (ख):वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमापार से होने वाली घुसपैठ के कथित मामलों की संख्या में कमी हुई है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

2016		2017		2018		2019		2020	
मामलों की सं.	पकड़े गए व्यक्तियों की सं.	मामलों की सं.	पकड़े गए व्यक्तियों की सं.	मामलों की सं.	पकड़े गए व्यक्तियों की सं.	मामलों की सं.	पकड़े गए व्यक्तियों की सं.	मामलों की सं.	पकड़े गए व्यक्तियों की सं.
654	1601	456	907	420	884	500	1109	489	955

(ग) और (घ): जहां कहीं भी बीएसएफ कार्मिकों की ओर से कोई चूक पाई जाती है, अनुशासनात्मक कार्यवाइयां शुरू की जाती है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

******

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय ,आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में बंगलादेश-भारत बॉर्डर में 2,216 किलोमीटर का बॉर्डर है ,उसमें फेन्सिंग के लिए राज्य सरकार से जमीन एक्वायर करनी थी – तो कितनी जमीन एक्वायर हुई? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो घुसपैठिये बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं ,उन्हें पुलिस को सौंपा जाता है ,पुलिस को सौंपे जाने के बाद पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाती है?

श्री नित्यानन्द राय: सभापति महोदय ,माननीय राकेश सिन्हा जी ने जो प्रश्न किया है ,उसमें पश्चिम बंगाल के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के 33 मामले लम्बित हैं ,जिस कारण से लगभग साठ किलोमीटर से भी ज्यादा बाड़ नहीं लगाई जा सकी है , जिस कारण उस क्षेत्र में घुसपैठिये ज्यादा प्रयास करते हैं। फिर भी बीएसएफ की चौकसी के कारण हम उसे नाकाम करते हैं।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया है ,वहां पश्चिम बंगाल में पिछले चार वर्षों में , 2016से 2019 के बीच अवैध घुसपैठियों की कुल 2,548 शिकायतें दर्ज कराई गई थीं और दर्ज की गई एफआईआर 2,104 थीं ,यानी उसमें 444 कम एफआईआर दर्ज हुईं। नामज़द आरोपियों की संख्या ,4,189 गिरफ्तार आरोपियों की संख्या ,4,072 यानी 117 कम है। जो आरोप दाखिल किये गये ,वे 1,134 हैं और उसमें जो दोष सिद्ध हुए हैं ,कन्विक्शन जो हुए हैं ,वे 212 हैं। चूंकि वहां बॉर्डर पर बीएसएफ लगी है ,इसलिए बीएसएफ घुसपैठियों को पकड़ती है ,लेकिन उन्हें पकड़कर वह राज्य सरकार की स्थानीय पुलिस के सुपुर्द करती है। राज्य सरकार की पुलिस को घुसपैठियों को लेकर जितना संवेदनशील होना चाहिए ,वह उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है ,जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है।

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I request the hon. Minister to share the status of fencing work on Indo-Bangladesh border and also share the timeline for completion of this fencing work.

MR. CHAIRMAN: Nityanandji, it is about fencing of Indo-Bangla border and the present status.

श्री नित्यानन्द राय: महोदय ,बंग्लादेश बार्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लम्बाई 2,216 किलोमीटर है। जो बाहर से कवर की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ,वह 1,638 है ,यानी लगभग 76 प्रतिशत है। शेष जो 578 किलोमीटर बचा है ,इसमें दस किलोमीटर में कार्य प्रगति पर है। 319 किलोमीटर की बाड़ लगाना संभव नहीं हो पा रहा है ,क्योंकि वह नदियों का क्षेत्र है और कुछ दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम वहां बाड़ नहीं लगा सकते ,फिर भी व्यापक संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इसमें रेडार हैं ,सेन्सिटिव कैमरे हैं और कई प्रकार की व्यवस्था लाकर हम वहां सीमा की सुरक्षा करते हैं तथा घुसपैठियों को भी रोकते हैं। जो नदी का इलाका है ,वहाँ हमारा जो बीएसएफ का वॉटर विंग है ,उसके पास कई सुविधाएँ हैं, वहाँ floating boat भी लगी

है ,जिनके माध्यम से वे वहाँ पर सीमा की चौकसी करते हैं। यह काम land acquisition के कारण कहीं न कहीं बाधित है ,थोड़ा बीजीबी के कारण बाधित है ,इन दोनों को जोड़ कर 249 किलोमीटर है। कुछ में बंगलादेश बॉर्डर गार्ड की कुछ आपत्ति के कारण हम बाड़ नहीं लगा पा रहे हैं ,लेकिन उस पर प्रयास चल रहा है। अगर पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार अच्छे से प्रयास करके land acquisition कर देती है ,तो हम वहाँ पर जल्दी से बाड़ लगा देंगे। यह काम राज्य सरकार के कारण बाधित है। जो बंगलादेश बॉर्डर गार्ड के कारण बाधित है ,उसके लिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Nos. 93 and 102 seems to be similar. So, I am taking up both of the questions together.